

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274458
SG-DL-E-14072026-274458असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2026/आषाढ 19, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 102
No. 178]	DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2026/ASHADHA 19, 1948	[N. C. T. D. No. 102

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह (डीओपी) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 9 जुलाई, 2026

फा.सं. 11 / 02 / गृह-डीओपी / 2026 / 483.495.—भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी, एतद् द्वारा श्री प्रशांत प्रकाश, अधिवक्ता को दिनांक 28.10.2025 के अपने पत्र के माध्यम से दिल्ली पुलिस द्वारा यथा प्रस्तावित निम्नलिखित शुल्क संरचना पर पुलिस थाना अपराध शाखा, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 166/218/463/465/469/120ख के अंतर्गत दिनांक 01.10.2025 की केस एफआईआर संख्या 281/2025 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 166/341/342/506 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2025 की केस एफआईआर संख्या 282/2025 के मामले में माननीय परीक्षण न्यायालय के साथ-साथ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं:—

कार्य का विवरण	प्रस्तावित शुल्क
उपस्थिति प्रति सुनवाई	25,000 /— रुपये
एसजी/वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों/ जांच अधिकारी पैरोकार के साथ मामले की चर्चा हेतु सम्मेलन शुल्क	10,000 /— रुपये
याचिका/आवेदन/उत्तर/लिखित प्रस्तुति/तर्क आदि का प्रारूपण	15,000 /— रुपये
लिपिकीय प्रभार	कुल बिल राशि का 10 प्रतिशत

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,
के आदेश से तथा उनके नाम पर
एल०के० गौतम, उप-सचिव (गृह-डीओपी)

HOME (DOP) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 9th July, 2026

F. No. 11/02/H-DOP/2026/483-495.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 18 of the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, the Competent Authority is pleased to appoint Sh. Prashant Prakash, Advocate as Special Public Prosecutor to represent the State before the Ld. Trial Court as well as Hon'ble High Court of Delhi in the matter of case FIR No. 281/2025, Dt. 01.10.2025, u/s 166/218/463/465/469/120B IPC & FIR No. 282/2025, Dt. 01.10.2025, u/s 166/341/342/506 IPC, PS Crime Branch, New Delhi on the following fee structure as proposed by Delhi Police vide their letter dated 28.10.2025:—

Detail of work	Proposed fee
Appearance per hearing	Rs. 25,000/-
Conference charges for discussion of case with ASG/ Senior Police Officials/Investigating Officer Parokar.	Rs. 10,000/-
Drafting Petition/ Application /Reply/ Written/ Arguments /etc	Rs. 15,000/-
Clerkage Charges	10% of the total bill amount

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
L. K. GAUTAM, Dy. Secy. (HOME-DOP)